फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— श्री भगवतीलाल खटवड़ | विपक्षी :— श्री मुकेश जैन वगैरह

किस्म मुकदमा :— 212 R.T.A. | पत्रावली संख्या :— 33/22 (प्रार्थना पत्र)

GCMS NO : 2022/114

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पूर्व तारीख पेशी दिनांक 22.07.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ हैं। जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक कोई भी पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नही कर सकता हैं विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण के तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी जिस भूमि के संबंध में बंटवाड़ा चाहता है उक्त भूमि के मूल नम्बरो का बंटवाड़ा पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान में जिस भूमि का बंटवाड़ा प्रार्थी चाहता है उक्त भूमि को पूर्व के बंटवाड़े में सभी को सहखातेदार रखते हुए सभी खातेदारो की आराजीयात पर आने जाने के लिए रास्ते के उपयोग के लिए छोड़ी गई थी। उक्त भूमि पर वर्तमान में मौके पर भी रास्ता ही बना हुआ है तथा इस संबंध में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी सहमति से इकरारनामा भी किया गया था। जिसमें भी अंकित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते की भूमि पर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करवा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 506 पर दर्ज आराजी नम्बर 1404, 1419, 1421, 1422, 4896/1408 किता 5 कुल रकबा 0.1539 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदारी हक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:56:18 IST
Reason: SelfAttested

से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहता है। परन्तु पत्रावली में संलग्न सहमति बंटवाड़ा अनुसार इन्ही खातेदारो के मध्य बंटवाड़ा हुआ था। जिस पर प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। तथा प्रकरणग्रस्त भूमि सभी खातेदारो सामलाति रखी गई थी। विपक्षीगण का कथन है कि उक्त सामलाति रास्ते के उपयोग लिए रखी गई थी। जो वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाया हुआ है और रास्ता वर्तमान में चालू होकर पीछे बने हुए मकानों तक आने जाने हेतु आवागमन हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है। रास्ते की भूमि पर कोई भी सहखातेदार रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही कर सकता है तथा उभय पक्ष ही रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य नही कर सकते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर है यदि मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षों का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो उससे किसी भी पक्ष को अपूरणीय क्षति नही होती है, साथ ही नये विवाद को, नये मुकदमेबाजी को भी रोका जा सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आशिंक स्वीकार योग्य पाये जाते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 506 पर दर्ज आराजी नम्बर 1404, 1419, 1421, 1422, 4896/1408 किता 5 कुल रकबा 0.1539 हैक्टर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखे। रास्ते के उपयोग उपभोग में एक–दूसरे के बाधा उत्पन्न नही करें। उभय पक्ष ही रास्ते की भूमि में निर्माण कार्य नही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:56:18 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:56:18 IST
Reason: SelfAttested